27
आदी
27.4.12

संख्या–204 / XXIV(1) / 2012–03 / 2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 27, अप्रैल 2012

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये विभिन्न मदों में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–193 / XXVII(1) / 2012, दिनांक 30.03.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में धनराशि रू0 56999 / – हजार एवं आयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि रू0 4702146 / – हजार अर्थात कुल धनराशि रू0 4759145 / – हजार (रूपये चार अरब पिछतर करोड़ इक्यानवें लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) वित्त विभाग के उक्त संलग्न शासनादेश दिनांक 30.03.2012 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों की विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा –01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

**संलग्नकः–यथोक्त।**

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या–204/XXIV(1)/2012–03/2012, दिनांक अप्रैल,2012 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

| लेखाशीर्षक | | आयोजनागत | आयोजनेत्तर |
|---|---|---|---|
| राजस्व लेखा | | | |
| 2202– | सामान्य शिक्षा | | |
| 01– | प्रारम्भिक शिक्षा | | |
| 001– | निदेशन तथा प्रशासन | | |
| 03– | निदेशालय अधिष्ठान ()02–001–03 से स्थान्तरित) | | |
| | 01–वेतन | 3067 | – |
| | 03–महंगाई भत्ता | 2085 | – |
| | 04–यात्रा व्यय | 67 | – |
| | 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 33 | – |
| | 06–अन्य भत्ते | 552 | – |
| | 07–मानदेय | 17 | – |
| | 08–कार्यालय व्यय | 67 | – |
| | 09–विद्युत देय | 50 | – |
| | 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 67 | – |
| | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 67 | – |
| | 13–टेलीफोन पर व्यय | 33 | – |
| | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 100 | |
| | 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 133 | – |
| | 18–प्रकाशन | 33 | – |
| | 19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 67 | – |
| | 22–अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | 10 | – |
| | 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 67 | – |
| | 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 67 | – |
| | 29–अनुरक्षण | 33 | – |
| | 42–अन्य व्यय | 167 | – |
| | 44–प्रशिक्षण व्यय | 67 | |
| | 45–अवकाश यात्रा व्यय | 33 | – |
| | 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 67 | – |
| | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 50 | – |
| | **योगः–03** | **6999** | – |
| 04– | बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण | | |
| | 01–वेतन | – | 2400000 |
| | 03–महंगाई भत्ता | – | 1632000 |
| | 04–यात्रा व्यय | – | 333 |
| | 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय | – | 333 |
| | 06–अन्य भत्ते | – | 264000 |
| | 08–कार्यालय व्यय | – | 333 |
| | 09–विद्युत देय | – | 833 |
| | 10–जलकर/जल प्रभार | – | 333 |
| | 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | – | 400 |
| | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | – | 67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | – | 200 |
| | 17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व | – | 333 |
| | 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | – | 1333 |
| | 42–अन्य व्यय | – | 333 |
| | 45–अवकाश यात्रा व्यय | – | 333 |
| | **योग, 04:–** | **6999** | **4301164** |
| 07– | विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता | | |
| 0702– | सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0नर्सरी विद्यालयों को सहायता | | |
| | 43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान | – | 183333 |
| 14– | सहायता प्राप्त उ0मा0विद्यालयों के संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान | | |
| | 43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान | – | 15000 |
| 18– | शिक्षा मित्रों का मानदेय | | |
| | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | – | 160000 |
| 20– | विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण | | |
| | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 13333 | – |
| 24– | शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रति. | | |
| | 42–अन्य व्यय | 36667 | – |
| | **योग, 102:–** | **50000** | **358333** |
| 104– | निरीक्षण | | |
| 03– | **क्षेत्रीय निरीक्षण (02–101–03 से स्थानान्तरित)** | | |
| | 01–वेतन | – | 11667 |
| | 03–मंहगाई भत्ता | – | 8333 |
| | 04–यात्रा भत्ता | – | 133 |
| | 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय | – | 100 |
| | 06–अन्य भत्ते | – | 2000 |
| | 08–कार्यालय व्यय | – | 250 |
| | 09–विद्युत देय | – | 67 |
| | 10–जलकर/जल प्रभार | – | 33 |
| | 11–लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई | – | 83 |
| | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उप0 | – | 333 |
| | 13–टेलीफोन पर व्यय | – | 150 |
| | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की व्यवस्था | – | 200 |
| | 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | – | 667 |
| | 17–किराया, उपशुल्क और कर राजस्व | – | 100 |
| | 19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | – | 50 |
| | 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र | – | 100 |
| | 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | – | 133 |
| | 29–अनुरक्षण | – | 50 |
| | 42–अन्य व्यय | – | 67 |
| | 45–अवकाश यात्रा व्यय | – | 33 |
| | 46–कप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | – | 267 |
| | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | – | 100 |
| | **योग:–** | – | **24916** |
| 05– | **विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना (02–101–04 से स्थानान्तरण )** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 01–वेतन | – | 8333 |
| | 03–मंहगाई भत्ता | – | 5333 |
| | 04–यात्रा भत्ता | – | 167 |
| | 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय | – | 67 |
| | 06–अन्य भत्ते | – | 1200 |
| | 08–कार्यालय व्यय | – | 300 |
| | 09–विद्युत देय | – | 67 |
| | 10–जलकर/जल प्रभार | – | 33 |
| | 11–लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई | – | 150 |
| | 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उप0 | – | 233 |
| | 13–टेलीफोन पर व्यय | – | 67 |
| | 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | – | 333 |
| | 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र | – | 200 |
| | 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | – | 67 |
| | 29–अनुरक्षण | – | 50 |
| | 42–अन्य व्यय | – | 67 |
| | 45–अवकाश यात्रा व्यय | – | 33 |
| | 46–कप्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट0 का क्रय | – | 500 |
| | 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | – | 200 |
| | **योग–05** | – | **17400** |
| **109–** | **छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन** | | |
| 04– | प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पन्द्रह रूपये प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्तियां | | |
| | 21 छात्रवृति तथा छात्रवेतन | – | 333 |
| | **योग (109)–** | – | **333** |
| | **सम्पूर्ण योग (अनुदान संख्या–11)–** | **56999** | **4702146** |

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।